



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 वैशाख 1948 (श10)
(सं0 पटना 504) पटना, शुक्रवार, 15 मई 2026

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

13 मई 2026

सं0 11/न०वि०/गठन-06/2025-1558 /न०वि०एवंआ०वि०—राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार पटना के पत्रांक 1355 दिनांक 30.03.2026 द्वारा सूचित किया गया है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-6 के तहत नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नगर पंचायत, मधुबन, जम्होर, मदनपुर का गठन, नगर पंचायत, सोनपुर का नगर परिषद में उत्क्रमण एवं नगर परिषद, खगौल, दानापुर निजामत एवं फुलवारीशरीफ का क्षेत्र विस्तार के फलस्वरूप बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 12 (8) के अधीन 06 माह के भीतर चुनाव कराया जाना है।

2. बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 12(9) में प्रावधान है कि किसी नगरपालिका का आम निर्वाचन कराना संभव न हो तो उक्त अवधि के अवसान पर वह नगरपालिका भंग हो जायेगी और इस अधिनियम के अधीन उस नगरपालिका हेतु एक प्रशासक नियुक्त किया जायेगा।

3. उक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 12(9) के प्रावधान के आलोक में नगर परिषद, सोनपुर, खगौल, दानापुर निजामत एवं फुलवारीशरीफ में एक प्रशासक नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

4. अतएव राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के अनुरोध के आलोक में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 12(9) के प्रावधानानुसार नगर परिषद, सोनपुर, खगौल, दानापुर निजामत एवं

फुलवारीशरीफ में निहित सभी शक्ति और कृत्यों का प्रयोग या संपादन हेतु संबंधित नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी को उक्त नगर निकाय का प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 504-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>